

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

खतारहित प्रश्न संख्या-2992

20/12/99 को उत्तर के लिए

देशीय भाषाओं में पत्राचार

2992. श्री आनन्दराव विठोबा अक्सुल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

१ क०

क्या केन्द्र सरकार के केन्द्रीय सरकार देशीय कार्यालयों को आम जनता के साथ पत्राचार में, सभी प्रपत्रों और विभागीय साहित्य भी देशीय भाषा में उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

२ ख०

यदि हाँ, तो क्या सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के कार्यालयों विशेषकर महाराष्ट्र में इसकी सन्तोषजनक रूप से लागू किया है; और यदि नहीं, तो इस मामले में अने निर्णयों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री श्री आई.डी.स्वामी

१ क० जी नहीं, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

२ ख० दिनांक 27.4.1960 की अधिसूचना के क्रम में दिनांक 25.3.1968 के का०जा०के अनुसार जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फार्म और विभागीय साहित्य आदि अधिक से अधिक मात्रा में हिन्दी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका अनुपालन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, महाराष्ट्र में भी सामान्यतः सन्तोषजनक रूप से किया जा रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संगठनों द्वारा स्थानीय जनता के साथ वहाँ की प्रादेशिक भाषा में पत्राचार हो, ऐसी कोई व्यवस्था उक्त आदेश या परवर्ती आदेशों में सरकार ने स्वीकार नहीं की है।

३ ग० जैसे तो संघ की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन संयम, धैर्य और सहयोग की भावना से कराया जाता है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागाध्यक्ष उत्तरदायी बनाए गए हैं। राजभाषा अधिनियम, नियमों आदेशों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर कार्यालयों आदि के निरीक्षण किए जाते हैं।

10/12/2199 - 210 (51-2)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2992
TO BE ANSWERED ON 20/12/99

CORRESPONDENCE IN REGIONAL LANGUAGES

2992. SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) whether any survey has been done to ascertain implementation of the Government's decision directing the Central Government Regional Offices to make correspondence with the public in the Regional languages and use all the forms and departmental literature, for the use of local people also in the regional languages;
- (b) if so, whether the Union Government offices in general and in Maharashtra in particular have satisfactorily implemented the same; and
- (c) if not, the course of action contemplated by the Government for effective implementation of their decisions in the matter?

A N S W E R

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI I. D. SWAMI)

(a): No Sir. No such survey has been conducted.

(b): As per the O.M. dated 25.3.1968, issued in continuation of notification dated 27.4.1960, forms and Departmental literature etc. to be used by public should be made available in Hindi, English and regional languages in large number. Generally these are being implemented satisfactorily in the Central Government Offices and in Maharashtra too. However the Government has not accepted in the said order or subsequent orders any such provision that Central Government Offices/Organisations will correspond with the local people in the regional language.

(c): Implementation of Official Language Policy is done through the spirit of restraint, patience and cooperation. However, Heads of all the Departments have been made responsible for its effective implementation. To keep a watch on the implementation of Official Language Act, Rules and Orders, inspection of various offices etc. are conducted from time to time.
